न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरावलोकन

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोरीशंकर श्रीवास्तव निवासी- ग्राम भदेरा, कृषक ग्राम धतूरा, तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0 --आवेदक

बनाम

1. मथुरा प्रसाद बैरागी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद बैरागी ग्राम धतूरा, परगना पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन --अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 26/03/2016 पारित द्वारा श्रीमती मधु खरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 296-2/2013 निगरानी व उनवान देवेन्द्र कुमार बनाम मथुराप्रसाद आदि।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन-पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे कमांक 127/1 रकवा 1.556 हैक्टर स्थित ग्राम धतूरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1539–दो/16 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा यह रिव्यु प्रकरण कमांक 1539–दो/16 राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0 निग0 296–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 26.3.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि का पट्टा आवेदक को म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी के अधिकारों को प्रदाय किया जाना विशेष उपबन्ध 1984 के तहत दिनांक 12.12.96 को पट्टा पदत्त किया गया था, जिसके आधार पर आवेदकका नाम विवादित भूमि पर बहैसियत स्वामी शासकीय राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया है। अन्त में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि रिव्यु प्रकरण स्वीकार किया जावे। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्न लिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है:–	

1-किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2-मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3- कोई अन्य पर्याप्त कारण

इस पुनर्विलोकन में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

सदस्य